

उमरील संख्या 31/2021
पुनराम १/३ सुपाराम बगैरी

15/5/26 अधिवक्ता अपीलान्तः अनु. अपीलान्तः अनु. प्रकरणम्
अपीलान्त व अधिवक्ता अपीलान्त के न्यायालय की ओर
से वार-2 अवधि लगायी गयी। किंतु इनकी ओर
से कोई अपस्थित नहीं हुआ। पीछे से अपील
अदम एपरी। अदम चैरी के अरिज की जाती हैं।
पत्रावली के लिये सुमार होकर बाद आवश्यक प्रयोगी

दाखिल दफ्तर है।
राजस्व अधिकारी
पाली